सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं: 5232 / 1144 / 2015 दिनांक: 24.03.2017

के मामले में :–

श्री राजन कुमार,
पुत्र श्री रामपाल,
135 / 19, संगम विहार,
नई दिल्ली–110080 – शिकायतकर्ता

बनाम

आयुक्त दिल्ली पुलिस,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,
एम.एस.ओ. बिल्डिंग, आई.पी.स्टेट,
नई दिल्ली–110002 – प्रतिवादी

सुनवाई की तारीख: 24.11.2016

उपस्थित:

1. शिकायतकता अनुपस्थित ।
2. श्री वेद प्रकाश, हेड कांस्टेबल, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, 50 प्रतिशत अस्थिबाधित ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत विकलांग व्यक्ति को पीटने से संबंधित शिकायत दिनिांक 24.09.2015 इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि दिनांक 23.09.23015 को करीब 12 बजे वह एम बी रोड से प्रहलादपुर होते हुए खानपुर की तरफ जा रहे थे परन्तु रास्ते में एयर फोर्स स्टेशन बस स्टैंड के पास कुछ पुलिसकर्मी लाठीचार्ज कर रहे थे । सुरेश चन्द नाम का सिपाही जोकि संगम विहार थाने में तैनात है, उनकी तरफ भागते हुए आया और लाठी से उनके ऊपर हमला बोल दिया तथा लाठी उनकी कमर तथा उनके पोलियोग्रस्त पैर पर मारी । बहुत मुश्किल से वह अपनी जान बचाकर वहां से भागा । मंजीदिया अस्पताल में उन्होंने अपना ईलाज करवाया एवं एम एल सी भी करवाई । उनके अनुसार सिपाही सुरेश

.....2 / –

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाष: 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

चन्द ने उन्हें धमकी दी है कि अगर वह उसके खिलाफ शिकायत करेगा तो वह उसे व उसके परिवार को झूठे केस लगाकर जेल भेज देगा एवं जरूरत पड़ी तो उसे मरवा भी देगा ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 26.10.2015 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् दिनांक 09.12.2015 एवं 01.09.2016 को स्मरण–पत्र भी जारी किए गए ।

4. स्मरण–पत्रों दिनांक 09.12.2015 और 01.09.2016 के जारी करने के उपरान्त प्रतिवादी से कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण मामले को दिनांक 24.11.2016 को सुनवाई के लिए रखा गया ।

5. दिनांक 24.11.2016 को सुनवाई के समय शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए सूचना इस न्यायालय के पत्र दिनांक 31.10.2016 द्वारा स्पीड डाक से भेजी गई थी ।

6. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने सुनवाई के दौरान पत्र दिनांक 24.11.2016 जिसके साथ अपर पुलिस उपायुक्त के पत्र दिनांक 08.10.2016 की प्रति संलग्न थी, प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया । उन्होंने न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर तत्कालीन थाना अधिकारी, संगम विहार एवं सहायक पुलिस आयुक्त, जन शिकायत सैल, दक्षिणी पूरी जिला द्वारा दो जांच अलग से आयोजित की गई थीं । किन्तु आरोप सिद्ध नहीं पाए गए क्योंकि वर्तमान शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत बिना किसी दबाव के वापस ले ली है । इसलिए मामला दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था । पीजी सैल/एसईडी की जांच रिपोर्ट की प्रति न्यायालय के अवलोकनार्थ संलग्न की है ।

7. प्रतिवादी के प्रतिनिधि को सुनने एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय ने संप्रेक्षण किया कि चूंकि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली है, इसलिए न्यायालय द्वारा इस मामले में प्रतिवादी को कोई निर्देश दिए बिना मामले का निपटारा किया जाता है ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन